न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 35/2015

वादीगण :-

1. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. हनुमानसिंह पुत्र पुसासिंह उर्फ पुष्पसिंह
3. नरेश पुत्र पुसासिंह उर्फ पुष्पसिंह

जातियान-राजपुरोहित
निवासीगण-तालकिया
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मोहनसिंह पुत्र बालूसिंह
जाति-राजपुरोहित
निवासी-तालकिया,
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.30.03.2015

उपस्थितः- 1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 17/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-तालकिया, तहसील-जैतारण में वादीगण की कब्जा खुदा, काश्त खुदा एवं खातेदारी खुदा भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 49 बीघा 18 बिस्वा की आई हुई हैं। इस भूमि में वादीगण का पूर्वजों से 1/4 हिस्सा चला आ रहा है और माफिक हिस्से के वादीगण अपने हिस्से की जमीन पर पीढीयों से काबिज है। वादीगण का वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरूष जेठूसिंह के पुत्रगण शार्दुलसिंह व बींजाराम हुए शार्दुलसिंह का पुत्र भंवरसिंह हुआ। भंवरसिंह के पुत्रगण मदनसिंह व पूसासिंह हुए तथा पूसासिंह के पुत्रगण हनुमान व रमेश हुए। सरहद मौजा-तालकिया के खसरा नम्बर 324 में से 1/4 हिस्से की जमीन 12 बीघा 5 बिस्वा शार्दुलसिंह ने अपने नाम खरीदी। शार्दुलसिंह अपने हिस्से की 12 बीघा 5 बिस्वा जंमीन में से करीबन 4 बीघा जमीन हासल के पेठे 2 साल के लिए काश्त हेतु प्रतिवादी मोहनसिंह व झूझारसिंह को दी। परन्तु सैटलमेन्ट अधिकार द्वारा बिना किसी जांच पडताल दर्ज कर ली गई। जबकि मौके शार्दुलसिंह का व भंवरसिंह का कब्जा था वही काश्त करते व करवाते रहे। प्रतिवादी मोहनसिंह व झूझारसिंह का कब्जा बतौर स्वामी के कभी नही रहा है कब्जा वादीगण के पूर्वजों का शान्तिपूर्ण तरीके से लगातार व खुले रूप से चला आ रहा है उनके कब्जे काश्त में प्रतिवादी मोहनसिंह स्वम ने व उसके पुत्र लक्ष्मणसिंह व रावाईसिंह का कब्जा नहीं रहा है, ना ही झूझारसिंह के जीवनकाल में वादीगण की साढे बारह बीघा जमीन पर कब्जा ही रहा। यानि की प्रतिवादी मोहनसिंह व उसके पिता बालसिंह का कभी कोई कब्जा मौकेपर नही रहा, न मृतक झूझारसिंह का रहा। उनका नाम रेकर्ड में गलत आ गया खसरा नम्बर 324 की जमीन बालूसिंह या भेरूसिंह की पैतृक नहीं थी। हासल पेठे एक या दो साल के लिए काश्त करने से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

काश्तकार को खातेदारी अधिकार नहीं मिल जाते हैं, ना ही उसे स्वामित्व प्राप्त हो जाते है। वादीगण मदरुपसिंह व पूसासिंह सगे भाई है तथा पूसासिंह का 30 नवम्बर 2014 को देहान्त हो गया। उसके कायम मुकाम के रूप में नरेश व हनुमानसिंह है। पूसासिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न है। वादीगण संख्या 1, 2, 3 एक ही परिवार के हैं तथा आपस में बडे पिता व पुत्र हैं। शार्दुलसिंह के पुत्र भंवरसिंह थे। जिन्होंने अपने जीवनकाल के शार्दुलसिंह के 1/4 हिस्से की साढे बारह बीघा जमीन पर काश्त करते रहे। प्रतिवादी मोहनसिंह, भेरूसिंह, झूझारसिंह ने भंवरसिंह के जीवनकाल में खसरा नम्बर 324 के 12 बीघा 5 बिस्वा पर कभी कोई दखलंदाजी नही कि भेरूसिंह का पुत्र झुझारसिंह नाओलाद फौत हो चुका है। परन्तु उसका नाम भी बतौर खातेदार के नाम चला आ रहा है। अतः उसका नाम भी रेकर्ड से हटाया जाना जरूरी है। मोहनसिंह ने वादी मदरूपसिंह व पूसासिंह के जीवनकाल में आपसी राजीनामा लिखकर दिया कि मोहनसिंह का नाम व उसके भाई झूझारसिंह पुत्र भेरूसिंह का नाम खातेदारी में गलत आ गया हैं। ऐसी स्थिति में जो मोहनसिंह व उसके भाई का नाम झूझारसिंह पुत्र भेरूसिंह का नाम रेकर्ड में गलत खातेदारी आई हैं। उस खातेदारी से उनका नाम हटाकर वादीगण संख्या 1 मदरूपसिंह व वादीगण संख्या 2 व 3 के पिता का नाम बराबर खातेदार के रूप में दर्ज किये जाना पर मोहनसिंह को आपत्ति नही हैं। झूझारसिंह के नाओलाद फौत होने से मोहनसिंह उसका काके का बेटा भाई हैं। इसलिए उसने झूझारसिंह की ओर से भी झूझारसिंह का हक नहीं होने का लिखकर दिया है। प्रतिवादी का वंश वृक्षावली अनुसार बालसिंह व भैरूसिंह हुए तथा बालसिंह का पुत्र मोहनसिंह हुआ। भैरूसिंह का पुत्र झुझारसिंह नाऔलाद फौत हुआ। मोहनसिंह के पुत्रगण लक्ष्मणसिंह व सवाईसिंह हुए। इस प्रकार वादीगण का सम्पूर्ण खसरा नम्रब 324 में 1/4 हिस्सा आता हैं। इस प्रकार मदरूपसिंह का 1/8 हिस्सा व पूसासिंह का 1/8 हिस्सा आता हैं। परन्तु पूसासिंह के फौत हो जाने से वादीगण संख्या 2 व 3 का क्रमशः नरेश व हनुमानसिंह का कुल 1/16- 1/16 का बराबर हिस्सा आता हैं। अतः उनको उक्त हिस्से अनुसार उनका रेकर्ड में दर्ज किया जाना जरूरी हैं, जो मोहनसिंह का नाम बतौर खातेदार के चला आ रहा हैं, उसको हटाया जाना जरूरी है। वादीगण के दादा शार्दुलसिंह के समय से वादीगण के कब्जे में हैं। मोहनसिंह के पुत्र लक्ष्मणसिंह व सवाईसिंह बाहर रहते हैं तथा मोहनसिंह भी अपने पुत्रों के साथ अधिकतर सूरत में ही रहता हैं। भंवरसिंह व शार्दुलसिंह के अनपढ होने से मोहनसिंह व झुझारसिंह का नाम खातेदार के रूप में गलत आ जाने से उसकी जानकारी नहीं हो पाई थी। अभी साल भर पूर्व पूसासिंह को मोहनसिंह के नाम व झूझारसिंह का नाम बतौर खातेदार के दर्ज होने की जानकारी मिली और जबकि मौके पर झुझारसिंह का उसके जीवनकाल में कभी कोई कब्जा नही रहा, न ही मोहनसिंह का कब्जा रहा। झुझारसिंह व उनकी पत्नि को फौत हुए करीबन 25 साल हो चुके है। इस प्रकार खातदेार के रूप में जो मोहनसिंह व झुझारसिंह का नाम चला आ रहा है व एक गलत एण्ट्री हैं। उसे हटाया जाकर उनके स्थान पर वादीगण का नाम बतौर 1/8 हिस्से में मदरूपसिंह का नाम व 1/8 हिस्से में पूसासिंह के वारिसान हनुमानसिंह व नरेश का नाम दर्ज किया जाना जरूरी हैं। मोहनसिंह ने स्वयं में आपसी लिखत दिनांक 25/07/2014 को लिखत भी पूसासिंह व मदरूपसिंह के पक्ष में करके दिया है। जिससे प्रतिवादी मोहनसिंह पाबन्द हैं। अपने कथन के विरूद्ध कुछ भी कहने से स्टोपड व और उक्त लिखत की ईबारत से पाबन्द हैं। पूसासिंह 30/11/2010 को देहान्त हो चुका है। अभी होली के महीने भर पहले से मोहनसिंह

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तालकिया में आया हुआ हैं। अब वह पुसासिंह के फौत होने से तथा वादीगण नरेश व हनुमान की छोटी उम्र को देखते हुए, लोगों की सिखावट में आकर वादीगण की सवा बारह बीघा भूमि पर में से कुछ हिस्से की भूमि पर अपना गलत नाम रेकर्ड में आने का फायदा उठाकर जबरदस्ती काश्त करने की धमकी दे रहा हैं, ये धमकी उसने अभी 01/03/2015 को दी कि वादीगण की कब्जा काश्त सुदा, जो जमीन है। वह उसमें काश्त करेगा। जबकि वह अपने लिखत से पावन्द हैं। बिनायदावा 01/03/2015 को प्रतिवादी द्वारा वादीगण की कब्जा काश्त सुदा खातेदारी की भूमि में जबरदस्ती काश्त करने की धमकी देने पर बमुकाम-तालकिया, तहसील-जैतारण उत्पन्न हुआ हैं, जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-पिपलिया खुर्द में पेश हुई। मजमा-ए-आम में वादीगण एवं प्रतिवादी उपस्थित आए। पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया, जो तस्दीक किया जाकर सा0मि0 किया गया। पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का ने जमाबन्दी के पुस्त में लिखा हैं कि मिसल बन्दोबस्त तालकिया में खसरा नम्बर 324 रकबा 49-18 बीघा बालूसिंह भैरूसिंह पि0 उदयसिंह एवं शार्दुलसिंह वल्द जेठूसिंह का सहखातेदार में नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि में दर्ज बालूसिंह भैरूसिंह के वारिसान की पुश्तैनी भूमि हैं। प्रतिवादी स्वयं राजीनामा में स्वीकार करता हैं कि काश्त में पेटे दिया था। प्रतिवादी इस भूमि के मालिक नहीं हैं। वादीगण का वाद जरिए राजीनामा स्वीकार किया जाता हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-तालकिया, तहसील-जैतारण में वादीगण की कब्जा सुदा, काश्त सुदा एवं खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 49 बीघा 18 बिस्वा में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। गोहनसिंह एवं झुझारसिंह का नाम हटाया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
जिला.पाली

निर्णय आज दिनॉक 17/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर-पिपलिया खुर्द पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
जिला.पाली

Scanned by CamScanner

डिक्री बगुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह		1. मोहनसिंह पुत्र बालूसिंह
2. हनुमानसिंह पुत्र पुसासिंह उर्फ पुष्पसिंह		जाति-राजपुरोहित
3. नरेश पुत्र पुसासिंह उर्फ पुष्पसिंह		निवासी-तालकिया,
जातियान-राजपुरोहित		तहसील-जैतारण, जिला-पाली
निवासीगण-तालकिया		
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई मु0न0 :रा0वा0स0:35/2015

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए एवं

188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद गौजा-तालकिया, तहसील-जैतारण में वादीगण की कब्जा सुदा, काश्त सुदा एवं खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 49 बीघा 18 बिस्वा में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। मोहनसिंह एवं झुझारसिंह का नाम हटाया जाता हैं। वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ...-...मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह....-...फीस सादी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 17/06/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	02	00	मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	08	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner